<u>न्यायालय: – श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> जिला बैतूल

<u>दांडिक प्रकरण क :- 349 / 15</u> संस्थापन दिनांक:-25 / 06 / 15 फाईलिंग नं. 233504003302015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्ध

रमेश पिता शक्कूलाल इवने उम्र ४४ वर्ष, निवासी खारी ग्यावनी,, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>अभियुक्त</u>

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 24.01.2017 को घोषित)

- प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 304—ए भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 04.06.2015 को दिन करीब 03:00 बजे ग्राम लादी खारी रोड थाना आमला जिला बैतूल में वाहन ट्रेक्टर नं. एमपी—48—ए—8597 को उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से चलाकर उसमें बैठे मनीराम को ट्रेक्टर के मडगाड से आगे तरफ गिरा दिया जिससे मनीराम की मृत्यु कारित हुई जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती।
- 2 अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी जंगली ने दिनांक 04.06.2015 को थाना आमला आकर इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि वह ओझा सिरसाम के ट्रेक्टर पर काम करता है। घटना दिनांक 04. 06.2015 को दिन करीब 3 बजे ट्रेक्टर से ग्राम लादी जा रहा था। ट्रेक्टर का चालक तेजी एवं लापरवाही से चला रहा था जिससे मनीराम ट्रेक्टर के मडगाड से आगे तरफ गिर गया जिससे ट्रेक्टर के चाक में आने से मनीराम को चोट आयी और मनीराम की मृत्यु हो गयी। फरियादी जंगली की उक्त सूचना पर थाना आमला में मर्ग क. 48/15 धारा 174 जा.फौ. दर्ज कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान साक्षीगण के कथन लिये गये। मृतक की लाश का पोस्ट मार्टम कराया गया। जांच उपरांत थाना आमला में ओझा सिरसाम के बलवान कम्पनी के ट्रेक्टर चालक के विरूद्ध अपराध क. 314/15 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया। अभियुक्त से ट्रेक्टर क. एमपी—48—ए—8597 को बीमा पॉलिसी एवं झ्रायविंग लायसेंस की फोटो प्रति

सिंहत जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 04.06.2015 को दिन करीब 03:00 बजे ग्राम लादी खारी रोड थाना आमला जिला बैतूल में वाहन द्रेक्टर नं. एमपी—48—ए—8597 को उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से चलाकर उसमें बैठे मनीराम को द्रेक्टर के मडगाड से आगे तरफ गिरा दिया जिससे मनीराम की मृत्यु कारित हुई जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती ?
- 2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

1। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।विचारणीय प्रश्न क. 01 का निराकरण

5 जंगली (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि वे घटना दिनांक को ओझा के ट्रेक्टर से गांव की तरफ जा रहे थे। तभी ट्रेक्टर में बैठा मृतक मनीराम ट्रेक्टर के नीचे आ गया और ट्रेक्टर पिटिया उसके उपर से गुजर गया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। साक्षी ने आगे यह प्रकट किया है कि मृतक मनीराम को अस्पताल लेकर आये और ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी थी। श्यामजी (अ.सा.—5) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना के समय वह बकरिया चरा रहा था उसे सूचना मिली कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और जब वह अस्पताल पहुंचा तो उसके लड़के की मृत्यु हो गयी थी। फूलवंती (अ.सा.—7) ने यह प्रकट किया है कि उसे गांव के किसी व्यक्ति ने यह सूचना दी थी कि उसके लड़के का एक्सीडेंट हो गया है और जब वह घर आयी तब उसका लड़का खत्म हो चुका था। हिरलाल (अ.सा.—8) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि उसे यह जानकारी मिली थी कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है जब वह अस्पताल पहुंच तो उसके भाई की मृत्यु हो चुकी थी।

- 6 जंगली (अ.सा.—1) ने न्यायालयीन परीक्षण में घटना की रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—1) थाना आमला में की जाना तथा मर्ग इंटीमेशन (प्रदर्श प्री—2), लाश का पंचायतनामा (प्रदर्श प्री—3) एवं नक्शा मौका (प्रदर्श प्री—4) पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। श्यामजी (अ.सा.—5) ने लाश पंचनामा (प्रदर्श प्री—3) पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।
- डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-4) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि उसने दिनांक 05.06.2015 को सीएचसी आमला में पदस्थ रहते हुए मृतक मनीराम का शव परीक्षण किये जाने पर मृतक दांहिने एवं बांये हाथ पर खरोज के निशान, सिर के दांहिने तरफ गहरा फटा हुआ घाव एवं हड्डी टूटी हुई एवं चमड़ी व मांसपेशियां अलग पायी थी तथा घाव में से मस्तिष्क बाहर आ गया था और खोपड़ी की हड्डी टूटी पायी थी। इसके साथ ही मृतक के दांहिने कान से रक्त स्त्राव हो रहा था एवं खोपड़ी के दांहिनी तरफ पूरा घाव फेक्चर एवं कुचला हुआ था। साक्षी के अनुसार मृतक के आंतरिक परीक्षण के दौरान मृतक की खोपड़ी कपाल कुचले एवं हड्डी टूटी, सिल्ली कंजेस्टेड, केनियल केविटी में खून जमा हुआ पाया था तथा वक्ष में परदा, पसली कोमलस्त एवं फुफुस स्वस्थ पाये थे। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि मृतक को आयी सभी चोटें भारी, कड़े एवं बोथरे हथियार से होना पायी थी जो कि मृत्यु पूर्व की थी एवं जीवन के लिए खतरनाक थी। साक्षी ने अभिमत दिया है कि उसने मृतक मनीराम की मृत्यू सिर मस्तिष्क में आयी चोटों से अत्यधिक रक्त बहनें से सॉक में आने के कारण होना पाया था। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी शप परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श प्री–8) को प्रमाणित किया है। इस प्रकार साक्षी जंगली (अ.सा.–1), श्यामजी (अ.सा.–५), फूलवंती (अ.सा.–७), हरिलाल (अ.सा.–८) तथा उपर्युक्त साक्षी डॉ. एन.के. रोहित के कथनों से घटना दिनांक को मृतक मनीराम की एक्सीडेंट से मृत्यू होने के तथ्य की संपृष्टि होती है।
- 8 एस.एस. पटेल (अ.सा.—9) ने दिनांक 04.06.2011 को थाना आमला में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए दूरभाष पर एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त होने पर मौके पर पहुंचना एवं सूचनाकर्ता जंगली के बताये अनुसार मर्ग इंटीमेशन क. 48 / 15 (प्रदर्श प्री—2) लेखबद्ध किया जाना प्रकट करते हुए दिनांक 05.06.2015 को शव नक्शा पंचनामा (प्रदर्श प्री—4) तैयार किया जाना तथा सिफना फार्म भरकर (प्रदर्श प्री—14) का नोटिस दिया जाकर नक्शा पंचायतनामा (प्रदर्श प्री—3) तैयार किया जाना बताया है। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने फिरयादी द्वारा दर्ज कराये जाने पर अपराध क. 314 / 15 धारा 304 ए भा.दं.सं. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध किया था तथा दिनांक 06.06.2015 को घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री—12) तैयार किया जाना एवं अभियुक्त रमेश से ट्रेक्टर क. एमपी—48—ए—8597 को जप्त कर (प्रदर्श प्री—16) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफतार कर (प्रदर्श प्री—16) का

गिरफ्तारी पत्रक बनाया था। साक्षी ने उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित भी किया है।

- 9 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में किसी भी साक्षी ने अपने समक्ष दुर्घटना घटित होने से इनकार किया है, तब ऐसी स्थिति में अभियुक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चला रहा था यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।
- बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में रामसिंह (अ.सा.–2), सदाराम (अ.सा.-3), ओझा (अ.सा.-6) ने घटना का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन के समर्थन में साक्षियों ने कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। जंगली (अ.सा.–1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वह ट्रेक्टर से गांव की तरफ जा रहा था। द्रेक्टर के मडगाड पर वह बैठा हुआ था। अचानक से द्वेक्टर के सामने गाय आ गयी जिससे द्वेक्टर गड्ढे में घुस गया। साक्षी ने यह बताया है गड़ढे में घूसने के कारण ट्रेक्टर में बैठा मनीराम नीचे आ गया तथा उसके उपर से ट्रेक्टर का पहिया गुजर गया था जिससे मनीराम गंभीर रूप से घायल हो गया था जिसकी मृत्यु ईलाज के दौरान हो गयी थी। उपर्युक्त साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि द्रेक्टर चालक अभियुक्त रमेश ने ट्रेक्टर को तेज गति एवं लापरवाही से चलाया था जिससे मनीराम की मृत्यु हो गयी थी। श्यामजी (अ.सा.–5), फूलवंती (अ.सा.–7) तथा हरिलाल (अ.सा.–8) ने अपने समक्ष घटना घटित होने से इनकार किया है तथा घटना के बारे में कोई भी जानकारी न होना बताया है।
- 11 अभियोजन कथा अनुसार फरियादी जंगली (अ.सा.—1) के द्वारा घ ाटना की रिपोर्ट अज्ञात ट्रेक्टर चालक के विरूद्ध लेख करायी गयी है। जंगली (अ.सा.—1) ने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्त को न जानना प्रकट करते हुए उसके द्वारा ट्रेक्टर को तेज गति एवं लापरवाही से चलाये जाने से भी इनकार किया है। अभियोजन कथा अनुसार मात्र उक्त साक्षी ही चक्षुदर्शी साक्षी है। जंगली (अ.सा.—1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि ट्रेक्टर के सामने अचानक गाय आ गयी थी जिससे ट्रेक्टर गड्ढे में चला गया था जिसके कारण से मृतक मनीराम ट्रेक्टर के नीचे आ गया था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि घटना के समय ट्रेक्टर कौन चला रहा था।
- 12 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि ह ाटना दिनांक को अभियुक्त रमेश ही द्रेक्टर को चला रहा था तथा उसके द्वारा

देक्टर को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाया गया। फरियादी जंगली (अ.सा.—1) ने भी अभियुक्त रमेश के द्वारा देक्टर चलाये जाने से इनकार किया है। साथ ही देक्टर के चालक द्वारा उपेक्षा एवं उतावलेपन से देक्टर चलाये जाने से इनकार किया है। अतः ऐसी दशा में जबिक प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात चालक के विरुद्ध लेख करायी गयी थी। उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं हो रहा है कि घटना दिनांक को अभियुक्त रमेश ही देक्टर को चला रहा था। साथ ही देक्टर को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाये जाने के संबंध में भी साक्ष्य का नितांत अभाव है। अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक को अभियुक्त रमेश ही देक्टर को उपेक्षा या उतावलेपन से चला रहा था जिसके कारण मृतक मनीराम की मृत्यु हुई थी।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

- 13 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर वाहन द्वेक्टर नं. एमपी—48—ए—8597 को उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से चलाकर उसमें बैठे मनीराम को द्वेक्टर के मडगाड से आगे तरफ गिरा दिया जिससे मनीराम की मृत्यु कारित हुई जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती। फलतः अभियुक्त रमेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 304—ए के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 14 प्रकरण में जप्तशुदा द्वेक्टर क. एमपी—48—ए—8597 ओझा पिता बातू सिरसाम निवासी खारी रतेड़ाकला थाना आमला जिला बैतूल को अस्थायी सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में अपीलीय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।
- 15 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 16 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)